

(राजस्थान सरकार)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)**

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 16/2023

**बउनवान**

जयपाल पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी सारंगखेड़ा तहसील छीपाबडौद

(अपीलांत)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद

(रेस्पोंडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1. श्री गोविन्द मुरारी गौतम अभिभाषक  
2. पेरोकार सरकार

(अपीलांत)

(रेस्पोंडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 07.07.2023**

अपीलांत ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 300/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत को वाके ग्राम सारंगखेड़ा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा नम्बर 26 की रकबा 01.10 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 75/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 13.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांत के अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांत ने उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधी. न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। अपीलांत को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य प्रमाणों के बिना हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलांत का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांत स्वीकार फरमायी जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2022 बाबत 01 माह की सजा एवं जुर्माना निरस्त फरमाने की कृपा करें।

इसके विपरीत पेरोंकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा किया जाकर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी संवत् 2078 में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 121 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरुद्ध 11,550/- रूपये तावान राशि बकाया होना अंकित किया गया है। उक्त राशि जमा होने की रसीद अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद में उपस्थित रहा है। हम पेरोंकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है एवं अपीलान्ट के विरुद्ध 11,550/- रूपये बकाया तावान राशि जमा करने की रसीद भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 300/2022 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सत्यनारायण आमेटा )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारों